

(भारत के राजपत्र के भाग - I, खण्ड - II में प्रकाशितार्थ)

सं. 13017/36/2010-अ.आ.से.(I)

भारत सरकार


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : २० जनवरी, 2011

### आधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संघर्ण) लियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केरल तथा गुजरात सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री संजय एम.कौल, भा.प्र.से. (केरल:01) की केरल संघर्ण से गुजरात संघर्ण में अंतर संघर्ण प्रतिनियुक्ति को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि हेतु अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अनुमोदन प्रदान करती है।



(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)